



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22052026-272769
CG-MH-E-22052026-272769

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2492]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2026/वैशाख 30, 1948

No. 2492]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2026/VAISAKHA 30, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 13 मई, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20A के तहत

का.आ. 2584(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के "मध्य रेलवे के अंतर्गत अतिरिक्त होटगी बायपास लाइन (5.85 कि.मी.)" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ कि उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्र. ०३, सोलापूर, जिला सोलापूर, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में विशेष रेल परियोजना "मध्य रेलवे के अंतर्गत अतिरिक्त होटगी बायपास लाइन (5.85 कि.मी.)" के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

रेलवे सुधारित अधिनियम 1989 और भू-अधिग्रहण रेलवे (सुधारणा कानून 2008 धारा 20A के अनुसार) के तहत, "मध्य रेलवे के अंतर्गत अतिरिक्त होटगी बायपास लाइन (5.85 कि.मी.)"

अ. क्र.	भू संपादन प्रकरण क्र.	गाँव का नाम	तालुका	७/१२ अन सार भूधारक का नाम	गट क्र.	भू-धारणा पद्धति	७/१२ के अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
होटगी स्टेशन								
1	294- 23.05.2025	होटगी स्टेशन	दक्षिण सोलापूर	एन टी पी सी लिमिटेड	४८/१/अ/१	१	1.8900	0.2880
2				महादेव बळीराम नागटिळक	४८/१/अ/२	१	0.8100	
3				एन टी पी सी लिमिटेड	४८/१/ब	१	2.6900	
4				एन टी पी सी लिमिटेड	४८/१/क/१	१	1.8900	
5				एन टी पी सी लिमिटेड	४८/१/क/२	१	0.8100	
6				जगन्नाथ शिवाजी गायकवाड	४८/२	१	1.2100	
कुल							9.30 (हे.आर.)	0.2880 (हे.आर.)
हिपळे								
1	294- 23.05.2025	हिपळे	दक्षिण सोलापूर	सुशीला नामदेव पाटील, नागनाथ नामदेव पाटील, अविनाश नामदेव पाटील	४६	१	3.0700	0.0580
2	294- 23.05.2025	हिपळे	दक्षिण सोलापूर	संतोष शावरप्पा बंडगर	५४/१	१	2.0200	0.0220
3				शंकुतला नारायण पाटील, कलावती नारायण पाटील, नागनाथ आप्पाराव कुडगनुरे, जीवन बाळासाहेब पाटील,	५४/२	१	6.7900	

अ. क्र.	भू संपादन प्रकरण क्र.	गाँव का नाम	तालुका	७/१२ अन सार भूधारक का नाम	गट क्र.	भू-धारणा पद्धत	७/१२ के अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
				मोहन बाळू पाटील, लक्ष्मीबाई रेवणसिध्द पाटील				
4				सुहास यास अपाक आनंद बसवराज निडगुंदी, आनंद बसवराज निडगुंदी, सुहास आनंद निडगुंदी	१४/१/अ/१/अ/१	१	0.8200	0.5090
5				उमाजी भागण्णा करे	१४/१/अ/१/अ/२	१	0.8900	
6				अ रहीमान इमाम शेख	१४/१/अ/१/व	१	2.0200	
7				अस्लम अरहिमान शेख.	१४/१/अ/२	१	0.6000	
8				अस्लम अरहिमान शेख.	१४/१/व	१	0.6000	
9				सुनंदा सुर्यकांत कोनापुरे	१४/२/अ	१	1.2100	
10				शिवप्रसाद रमेश कोनापुरे	१४/२/व	१	0.8100	
						कुल	18.8300 (हे.आर.)	
						कुल योग	28.1300 (हे.आर.)	0.8770 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/SUR/Additional Hotgi Bye Pass line/20A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th May, 2026

Under clause 20A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 2584(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (11 of 2008)), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “**Additional Hotgi Bye Pass line (5.85 Km) of Central Railway**” in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Deputy Collector, Land Acquisition No 03, Solapur District Solapur Maharashtra** in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent

Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of “Additional Hotgi Bye Pass line (5.85 Km) of Central Railway” in the District Solapur in the State of Maharashtra.

“Additional Hotgi Bye Pass line (5.85 Km) of Central Railway”, under the Railway (Amendment) Act, 1989, and the Land Acquisition Railway (Amendment) Act, 2008, section 20(A).”

SR. NO.	Land Acquisition Case No.	Name of the Village	Taluka	Name of Land Owner as per 7/12	Gat No.	Land Holding Method	Total Area as per 7/12 (Ha.)	Land to be Acquired (Ha.)
Hotgi Station								
1	294-23.05.2025	Hotgi Station	South Solapur	NTPC Limited	48/1/A/1	1	1.89	0.2880
2				Mahadev Baliram Nagtilak	48/1/A/2	1	0.81	
3				NTPC Limited	48/1/B	1	2.69	
4				NTPC Limited	48/1/C/1	1	1.89	
5				NTPC Limited	48/1/C/2	1	0.81	
6				Jagannath Shivaji Gaikwad	48/2	1	1.21	
Total							9.30 (Ha.)	0.2880 (Ha.)
Hipale								
1	294-23.05.2025	Hipale	South Solapur	Sushila Namdev Patil, Nagnath Namdev Patil, Avinash Namdev Patil,	46	1	3.07	0.0580
2				Santosh Shawarappa Bandgar	54/1	1	2.02	0.0220
3				Shankutla Narayan Patil, Kalavati Narayan Patil, Nagnath Apparao Kudganure, Jeevan Balasaheb Patil, Mohan Balu Patil, Lakshmbai Revansidh Patil	54/2	1	6.79	
4				Suhas Yas Apak Anand Basavaraj Nidgundi, Anand Basavaraj Nidgundi, Suhas Anand Nidgundi	14/1/A/1/A/1	1	0.82	
5				Umaji Bhagnna Kare	14/1/A/1/A/2	1	0.89	
6	294-23.05.2025	Hipale	South Solapur	A Rahiman Imam Shaikh	14/1/A/1/B	1	2.02	0.5090
7				Aslam A. Rahiman Shaikh	14/1/A/2	1	0.6	
8				Aslam A. Rahiman Shaikh	14/1/B	1	0.6	

9				Sunanda Suryakant Konapure	14/2/A	1	1.21	
10				Shivprasad Ramesh Konapure	14/2/B	1	0.81	
							Total	18.8300 (Ha.)
							Grand Total	28.1300 (Ha.)

[F. No. G197/SUR/Additional Hotgi Bye Pass line/20A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)